स्कूल छोड़ चुके बच्चों का दोबारा करवाएं दाखिला

कुल्लू : मनाली के निकट एक संस्थान का निरीक्षण करते राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य ने किया आह्वान
- बोले, आपस में सामंजस्य बैठाएं शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी

वरिष्ठ संवाददाता, कुल्लू

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य एवं शिक्षा के अधिकार से जुड़े मामलों के प्रभारी प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पदाधिकारियों के साथ कुल्लू जिला के विभिन्न संस्थानों का निरीक्षण किया।

इस दौरान उन्होंने बाल अधिकारों और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अनुपालना की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने मनाली में उपायुक्त हंसराज चैहान और जिला के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करके बच्चों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार सभी निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े बच्चों के लिए अनिवार्य हैं। जिला में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के इस महत्त्वपूर्ण प्रावधान का अक्षरशः पालन होना चाहिए। प्रियंक कानूनगो ने कहा कि किन्हीं कारणों से स्कूल छोड़ने वाले छोटे बच्चों को दोबारा स्कूलों में लाने के लिए शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को आपस में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। दोनों विभागों के सामूहिक प्रयासों से उक्त बच्चों को दोबारा स्कूलों में दाखिल करवाया जा सकता है। कानूनगो ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे बाल मजदूरी का कोई भी मामला सामने आने पर त्वरित कार्रवाई करें और ऐसे मामलों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

करजां स्कूल को बेहतर व्यवस्था पर शाबाशी

राजकीय प्राथमिक पाठशाला करजां के निरीक्षण के दौरान प्रियंक कानूनगो ने स्कूल की व्यवस्था की काफी सराहना की। उन्होंने बाल आश्रम मनसारी का भी निरीक्षण किया और प्रबंधकों को 30 जून तक सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की चेतावनी दी। साथ ही जिला कार्यक्रम अधिकारी तथा प्रारंभिक पिक्षा उपनिदेशक को आश्रम के बच्चों को तुरंत स्कूल में दाखिल करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जिला में बाल आश्रम के प्रस्ताव सभी औपचारिकताएं पूर्ण करके राज्य आयोग के माध्यम से प्रेषित करें।

ये रहे मौजूद

इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के तकनीकी विशेषज्ञ रजनीकांत, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष किरण धांटा, सदस्य राजेंद्र मोहन, रोशन लाल शर्मा, श्वेता राणा, आशुतोष गुप्ता, एसडीएम ज्योति राणा, डीएसपी पुनीत रघु, जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेश शर्मा, प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कुलवंत पठानिया व अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिव्य हिमाचल Tue, 31 May 2016
epaper.divyahimachal.com/c/10675027